RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १०, अंक १० (२)] शुक्रवार, जुलै ५, २०२४/आषाढ १४, शके १९४६ [पृष्ठे १०, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक **५ जुलै, २०२४** ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XVI OF 2024.

A BILL

TO PREVENT UNFAIR MEANS IN THE COMPETITIVE EXAMINATIONS AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १६ सन् २०२४।

प्रतियोगिता परीक्षा में अनुचित मार्गों की रोकथाम करने तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने संबंधि विधेयक ।

क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में अनुचित मार्गों की रोकथाम करने और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए, एक नया विधि अधिनियमित करना इष्टकर है, अत: भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१.(१) यह अधिनियम महाराष्ट्र प्रतियोगिता परीक्षा (अनुचित मार्गों की रोकथाम) अधिनियम, २०२४ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

अध्याय दो

परिभाषाएँ

परिभाषाएँ ।

२.(१) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " उम्मीदवार " का तात्पर्य ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित रहने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है, और इसमें ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे उसकी और से, प्रतियोगिता परीक्षा में लेखनिक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ;

(ख) " संसूचना साधन " का वह अर्थ होगा जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० की धारा २ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ज क) में उसे समनुदेशित किया गया है ;

(ग) " प्रतियोगिता परीक्षा " का तात्पर्य, अनुसूचि में यथा विनिर्दिष्ट प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण द्वारा ली गई या राज्य सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया जाए, ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा ली गई किसी परीक्षा से है;

(घ) " प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण " का तात्पर्य, प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिए समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या गठित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, चयन समिति या अनुसूचि में यथा विनिर्दिष्ट कोई परीक्षा प्राधिकरण से है ;

(ङ) " प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र " का तात्पर्य, ऐसा परिसर, जो प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिए उपयोग में लाने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा जिसे चयनित किया गया है या अन्यथा प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकारण द्वारा चयनित किया गया है और जिनके बीच अन्य कोई विद्यालय, संगणक केंद्र, संस्था, कोई भवन या उसका भाग सम्मिलित हो सके से है और संपूर्ण परिधि और उसकी अनुलग्न भूमि समान रूप से होगी जो प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिए सुरक्षा हेतू और अन्य संबंधित करणों के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा;

(च) " संगणक जाल ", " संगणक स्त्रोत " और " संगणक प्रणाली " का अर्थ क्रमश: वही होगा, जो संसूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० की धारा २ की, उप-धारा (१) के खण्ड (त्र) (ट) और (ठ) में क्रमश: समनुदेशित किया गया है ; सन् २००० को २१।

(छ) " प्रतियोगिता परीक्षा " लेने जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिए जैसा कि विहित किया जाए, अपनाई जा रही सभी कार्यप्रणाली प्रक्रिया और गतिविधियाँ सम्मिलित है ;

(ज) " सरकार " का तात्पर्य महाराष्ट्र सरकार से है ;

(झ) " संस्था " का तात्पर्य कि कोई अभिकरण, संघठन व्यक्तियों का सहयोजन कारोबार, इकाई, कम्पनी, भागीदारीता या भागीदारी एकल मालिकाना फर्म चाहे वह किसी भी नाम से पूकारा जाए, जो प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण से अन्य है और ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता से है ;

स्पष्टिकरण ,— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्टीकरण दिया जात है कि, " कम्पनी " जिस में कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा २ के खण्ड (२०) में यथा परिभाषित कम्पनी, या सीमीत दायित्व भागीदारी अधिनियम, २००८ की धारा २ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ढ) में यथा परिभाषित सीमीत दायित्व भागीदारी फर्म सम्मिलत है ; सन् २०१३ का १८। सन् २००९ का ६।

(त्र) " अधिसूचना " का तात्पर्य **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना से है और " अधिसूचित " अभिव्यक्ति का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा ;

(ट) " संघठित अपराध "का तात्पर्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में गलत लाभ के लिए साझा हित को आगे बढ़ाने या बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत और साजिश में अनुचित साधनों में सम्मिलित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा की गयी अविधिपूर्ण गतिविधि, से है ;

(ठ) " सेवा प्रदाता से सम्बद्ध व्यक्ति " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है ऐसे सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से सेवाएं देता हैं चाहे उसके बावजूद, ऐसे व्यक्ति कर्मचारी हो या अभिकर्ता या, यथास्थिति, ऐसे सेवा प्रदाता सहायक हो;

(ड) " पेपर सेटर " का तात्पर्य प्रश्नों, प्रश्न बैंक या प्रश्नपत्रिका तैयार करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति या इंकाई, से है ;

(ढ) " विहित " का तात्पर्य इस अधिानियम के अधीन नियमों द्वारा विहित से है; और

(ण) " सेवा प्रदाता " का तात्पर्य, कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियो का सहयोजन, बरोबर ईकाई, कम्पनी, भागीदारी या एकल मालिकाना फर्म, जिससें उसके सहयोजनों, उप-संविदाकारों और कोई संगणक स्त्रोत या कोई सामग्री के सहायक का प्रदाता चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त है।

(२) इसमें उपयोग किए गए किन्तु परिभाषित न किये गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित किया गया है और जो इन विधियों में यथा समनुदेशित किया गया है।

अध्याय तीन

अनुचित उपायों और अपराधों

अनुचित मार्ग।

३. किसी प्रतियोगिता परीक्षा लेने से संबंधित अनुचित मार्गों में कोई भी उम्मीदवार या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थानो द्वारा कृत या किये जाने के लिए आशयित कोई कृत्य या चूक सम्मिलित होगी, और इसमें निम्नलिखित में से किसी भी कार्य तक सिमित नहीं होगा, परन्तु आर्थिक या गलत लाभ के लिए कोई भी कार्य :-

(एक) प्रतियोगिता परीक्षा में स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सहयोग से किसी अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी या किसी लिखित, अलिखित, उध्दत नक्कल की गई, मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से प्राप्त सामग्री का अवैद्य उपयोग गैजेट्स या कोई अनुचित और अन्य अनधिकृत सहायता लेने या किसी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या मेकेनिकल साधन या गैजेट आदि का उपयोग करने ;

(दोन) परीक्षा में छद्मव्यक्तिता करना ;

(तीन) प्रश्नपत्रिका या उत्तर कुंजी या उसका भाग बाहर निकालना ;

(चार) प्रश्नपत्रिका या उत्तर कुंजी को बाहर निकालने के लिए दुसरों के साथ मिलीभगत में भाग लेना ;

(पाँच) किसी प्राधिकार के बिना प्रश्नपत्रिका या ऑप्टिकल मार्क मान्यता प्रतिसाद पत्रक देखना या उत्तर पत्रिका के किसी अन्य तरीके तक पहुंचना या कब्जा करना ;

(छह) किसी प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का उत्तर देना ;

(सात) प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी अनधिकृत रीत्या, उम्मीदवार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करना ;

(आठ) ऑप्टिकल मार्क रेकग्निशन रिस्पॉन्स सीट समेत उत्तर कुंजी के साथ छेडछाड करना ;

(नौ) किसी प्राधिकार के बिना वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय मुल्यांकन में हेर-फेर करना ;

(दस) राज्य सरकार या महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा स्वयं उसके द्वारा या उसके अभिकरण द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिए स्थापित मानदण्डो और मानकों का जानबूझकर उल्लंघन करना ;

(ग्यारह) प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीद्वारों की संक्षिप्त-सूची या किसी उम्मीदवार के गुणागुण या गुणागुण क्रम को अंतिम करने के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज के साथ हेर-फेर करना ;

(बारह) प्रतियोगिता परीक्षा लेने में अनुचित मार्गों को सुकर करने के सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना ;

(तेरह) संगणक जाल या संगणक स्रोत या संगणक प्रणाली के साथ छेडछाड करना ;

(चौदह) परीक्षा में अनुचित मार्गो को अपनाने के लिये सुकर करने के लिए उम्मीदवारों की बैठक व्यवस्था, में, परीक्षा का दिनांक और सत्र बदल के आबंटन में हेरफेर करना ;

(पंद्रह) प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार का कोई प्राधिकृत अभिकरण के साथ सहबद्ध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता को धमकी देना या गलत तरीके से रोकना या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बाधा डालना ;

(सोलह) धोखा देने या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाईड बनाना ;

(सत्रह) नकली परीक्षा लेने, नकल करने या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नकली प्रवेश या प्रस्ताव पत्र जारी करना ;

अनुचित मार्गों के लिए साजिश।

४. कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था ऐसे किसी अनुचित मार्गों में लिप्त होने के लिए मिलीभगत या साजिश नहीं करेगा।

प्रतियोगिता परीक्षा लेन में विघ्न डालना।

५. कोई भी व्यक्ति जिसे प्रतियोगिता परिक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा लेने से संबंधित का कार्य सौंपा नहीं गया है या संबंधित कार्य को नियुक्त नही किया गया है और वह उम्मीदवार नही है तो प्रतियोगिता परीक्षा लेने में बाधित करने के इरादे से परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

(२) प्रतियोगिता परीक्षा लेने के कर्तव्य में प्राधिकृत, नियुक्त या कर्तव्य सौंपा गया कोई भी व्यक्ति प्रश्न पत्रिका खोलने और वितरण करने के लिये नियत समय के पूर्व नही करेगा,–

(क) आर्थिक या गलत लाभ प्राप्त करने के लिए अनधिकृत रीत्या, ऐसी प्रश्नपत्रिका या उसका भाग या उसकी प्रतिलिपि खोलने, बाहर निकालने या अपने कब्जे में रखने, अभिगम करने, हल करने या हल करने की सहायता माँगने ;

(ख) कोई गोपनीय जानकारी जहाँ ऐसे प्रश्नपत्रिका से संबंधित है या ऐसे प्रश्नपत्रिका के संदर्भ में है, तब आर्थिक या गलत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गोपनीय जानकारी देने का वादा नहीं करेगा या गोपनीय जानकारी देने का वचन नही देगा।

(३) कोई व्यक्ति जिसे प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया है या जिसे जिस कार्य के लिये नियुक्त किया गया है तब उनके कर्तव्यों को करने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया है को छोडकर, उसे ज्ञात कोई भी जानकारी या उसका भाग, जो किसी भी अनुचित लाभ या गलत लाभ प्राप्त करने अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रकटित नहीं करेगा या बताने का कारण नहीं बनेगा।

पेपर सेटर के कर्तव्य।

६. कोई भी व्यक्ति जो किसी परीक्षा के लिए पेपर सेटर के रूप में नियुक्त किय गया है, इस संबंध में उसके नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण द्वारा लिखित में उसे दिए गए निर्देशों के साथ अनुसरण में, को छोडकर, किसी रीत्या, उसके द्वारा तैयार किये गये प्रश्नपत्र या उसकी प्रतिलिपि की आपूर्ति नहीं करेगा या आपूर्ति करने का कारण नहीं बनेगा या ऐसे प्रश्नपत्र की विषयवस्तू किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं करेगा या किसी रीत्या में उसका प्रचार नहीं करेगा।

अन्य अपराध।

७. यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था धारा ३,४,५ और धारा ६ के अधीन कोई अनुचित मार्ग या अपराध करता है तो प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता अपराध की रिपोर्ट तुरंत संबंधित पुलिस प्राधिकरणों को देगा और प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण को भी सूचित करेगा :

परंतु, यदि सेवा प्रदाता अनुचित मार्ग का सहारा लेता है आौर अपराध करता है या किसी अपराध सुकर करने में शामिल है, तो प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण संबंधित पुलिस प्राधिकरण को इसकी रिपोर्ट देगा।

परीक्षा केंद्र से अन्य परिसर का प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोग नही करेगा।

८. सेवा प्रदाता या संस्था या सेवा प्रदाता से सहयुक्त किसी भी व्यक्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण की लिखित अनुमती के बिना, प्रतियोगिता परीक्षा लेने के उद्देश से प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत परीक्षा केंद्र के अलावा, किसी भी परिसर को वैकल्पिक रूप में परीक्षा के लिए उपयोग में लाना अपराध होगा :

परंतु, इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, अपराध नहीं होगी जहाँ प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना, परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव किसी अप्रत्याशित घटना होने के कारण किया गया है।

सेवा प्रदाता और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध।

९. (१) सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति समेत कोई भी व्यक्ति यदि वह व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समुह या संस्थानों से मिलकर प्रतियोगिता परीक्षा लेने में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समुह या संस्था को किसी भी रीत्या, अनधिकृत रूप से, सहायता करता है तब उसने अपराध किया हुआ समझा जायेगा।

(२) सेवा प्रदाता या उससे सहबद्ध किसी व्यक्ति यदि वह किसी अनुचित मार्ग या किसी अपराध घटित होने की घटना की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरण को देने में विफल होता है तो वह अपराधी समझा जायेगा।

(३) जहाँ किसी सेवा प्रदाता द्वारा किया गया अपराध प्रथम दृष्ट्या ऐसे सेवा प्रदाता के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमती से या मिलीभगत से अन्वेषन के दौरान स्थापित करता है कि अपराध किया गया है तो ऐसा व्यक्ति भी, उसके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होगा :

परंतु, इस उप-धार में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी भी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह सबिता करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने अपराध को रोकने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी।

अध्याय चार

अपराध के लिए शास्ति

संज्ञेय अपराध।

१०. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और अप्रशमनीय होंगे।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए शास्ति।

११. इस अधिनियम के अधीन अनुचित मार्गों का सहारा लेने और अपराध करनेवाले कोई व्यक्ति या व्यक्ति को तीन वर्षों से कम न हो परंतु, जिसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सके ऐसे कारावास से और दस लाख रुपयों तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। जुर्माने की अदायगी करने में चुक करने के मामले में, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ के उपबंधो के अनुसार अतिरिक्त कारावास की शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

सन् २०२३ का ४५।

(२) सेवा प्रदाता, एक करोड रुपयों तक के जुर्माने के अधिरोपन से दण्डित किया जायेगा और परीक्षा की आनुपातिक लागत भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल की जायेगी तथा उसे चार वर्षों की अवधि के लिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिये किसी जिम्मेदारी के साथ समुनेदेशित करने से भी रोका जायेगा।

(३) जहाँ इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण के दौरान यह स्थापित होता है कि, किसी निदेशक, प्रबंध या सेवा प्रदाता फर्म के प्रभारी व्यक्तियों की सहमती या मौनानुकूलता से हुआ है तो वह तीन वर्षों से कम न हो परंतु, जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकनेवाले कारावास से और एक करोड रुपयों के जुर्माने से दण्डित किये

जाने के लिये दायी होगा। जुर्माने की अदायगी में चूक करने के मामले में, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ के उपबंधो के अनुसार अतिरिक्त कारावास की शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

(४) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को, अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के लिए दायी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित करता है कि, अपराध उसके जानकारी के बिना हुआ है और उसने ऐसा अपराध होने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

संघठित अपराध।

१२. (१) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या किसी अन्य संस्था से जुडे लोग भी सम्मिलित है, एक संघठित अपराध करता है तो उसे पाँच वर्षों से कम न हो परंतु, जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकनेवाली अवधि के कारावास से तथा एक करोड रुपयों से कम न हो ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। जुर्माने की अदायगी में चूक करने के मामले में, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ के उपबंधो के अनुसार अतिरिक्त कारावास की शास्ति अधिरोपित की जायेगी। सन् २०२३ का ४५।

(२) यदि कोई संस्था या सेवा प्रदाता संघठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी सम्पत्ति कुर्की और समपहरण के अध्यधीन होगी और परीक्षा की आनुपातिक लागत भी उसके वसूली जायेगी।

अध्याय पाँच

जाँच और अन्वेषण

अन्वेषण करने के लिए सशक्त किया गया अधिकारी।

१३. (१) पुलिस उप-अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करेगा।

(२) उप-धारा (१) में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को, किसी राज्य अन्वेषण अभिकरण को अन्वेषण निर्दिष्ट करने की शक्तियाँ होगी।

अध्याय छह

विविध

अनुसूचि संशोधित करने की शक्ति।

१४. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा अनुसूचि में कोई प्रविष्ट जोडने, उपांतरित करने या अपमार्जित करने द्वारा संशोधन कर सकेगी और तत्पश्चात्, अनुसूचि तद्नुसार संशोधित की जायेगी।

(२) उप-धारा (१) अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे।

१५. प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों जब वे इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों के अनुसरण में, कार्य कर रहे है या कार्य करने के लिए तात्पर्यित है, तो भारतीय न्याय संहिता, २०२३ के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जायेंगे। सन् २०२३ का ४५।

किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई कारवाई के लिए संरक्षण।

१६. इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक के विरूद्ध जिसके बारे में जिसमें उसके पदीय कृत्यों का निर्वहन करने या उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने के लिए आशयित कार्य के बारे में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहीयाँ संस्थित नही की जायेगी।

परंतु, किसी प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण की सेवा में लोक सेवक ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा प्राधिकरण के सेवा नियमों के निबंधनों में प्रशासकीय कार्यवाही के अध्यधीन होगे :

परंतु आगे यह कि, इस अधिनियम के अधीन अपराध होने का सिद्ध करने के लिए प्रथम दृष्ट्या मामला अस्तित्व में है तब ऐसे लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये रोका नहीं जायेगा।

इस अधिनियम के उपबंध का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना।

१७. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे :

परंतु, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट के साथ किसी बात की असंगतता के होते हुए भी या प्रवृत्त किसी ऐसे विधि के अनुसरण द्वारा प्रभावी होनेवाले कोई माध्यम के होते हुए भी किसी लिखत में प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

१८. (१) सरकार, **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगा।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् तथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिये रखा जायेगा, जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए ऐसा विनिश्चय **राजपत्र** में अधिसूचित करते हों तो नियम, ऐसे विनिश्चय के प्रकाशण के दिनांक से, परिवर्तित रूप में हों प्रभावी होगा, या यथास्थिती, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापी, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

१९. इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में यदि, कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उस कठिनाई के निराकरण के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षो की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूचि

[देखिए धारा २ (ग)(घ) और धारा १४]

(क) (१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग।

(२) अन्य किसी प्राधिकरण या चयन समिति या सेवा प्रदाता प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत कोई संस्था।

(३) सरकार के किसी विभाग द्वारा ली गई, कोई परीक्षा।

(ख) (१) महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा ली गई अध्यापक योग्यता और बुद्धीमत्ता परीक्षण (टी ए आई टी) और अध्यापक पात्रता परीक्षण (टी ई टी)।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

आधुनिक युग में, प्रतियोगिता परीक्षा, गुणागुण आधारित चयन और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभा रही है। बीते कुछ वर्षों से, कई प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार के मामले राज्य सरकार के ध्यान में आए है। प्रतियोगिता परीक्षा में कदाचार के कारण परीक्षा में विलंब होता है और परीक्षा रद्द होने से लाखो युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो प्रतियोगिता परीक्षा में उम्मीदवारों को समान अवसर देने और पारदर्शिता का उपबंध करने की संकल्पना से विपरित है।

२. विद्यमानतः प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेने में अंतर्ग्रस्त विभिन्न ईकाइयों द्वारा अपनाए गए अनुचित मार्गों या किये गये अपराधों का निपटान करने के लिए विशिष्ट सारवान विधि नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि, परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठानेवाले तत्वों की पहचान करने और एक व्यापक राज्य विधिविधान द्वारा उसका प्रभावी रूप से निपटान हो।

३. विधेयक का उद्देश, प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली में अधिकतम पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है और युवाओं को यह आश्वस्त करना है कि, उनके इमानदार और सच्चे प्रयासों का उचित रूप से प्रतिफल मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रखना । इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि विभिन्न अनुचित मार्गों में लिप्त है और आर्थिक या गलत लाभ पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले उन व्यक्तियों, संघठित समूहों या संस्थाओं को प्रभावी ढंग से और विधिक रूप से रोकना है।

४. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सरकार, प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनुचित मार्गों की रोकथाम करने के लिए एक नया विधि अधिनियमित करना इष्टकर समझती है।

५. विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है,—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा लेने से संबंधित अनुचित मार्गों और उससे संबंधित अन्य अपराधों के लिए उपबंध करना ;

(ख) किसी अनुचित मार्गों में लिप्तता को सुकर करने के लिए मिलीभगत या साजिश का प्रतिषेध करना;

(ग) प्रतियोगिता परीक्षा लेने के लिये विघ्न से बचने के लिए उपबंध करना ;

(घ) पेपर सेटरों का कर्तव्य विनिर्दिष्ट करना ;

(ङ) सेवा प्रदाताओं और उससे जुडे अन्य व्यक्तियों पर दायित्व अधिरोपित करना ;

(च) घटित अपराधों के लिए शास्ति और संघठित अपराधों के लिए कठोर शास्ति का उपबंध करना ;

(छ) किसी अपराध की जाँच करने के लिए पुलिस उप-अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को सशक्त करना।

६. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांक ४ जुलाई, २०२४।

एकनाथ शिंदे,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड १ (२).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा वह दिनांक जिस पर अधिनियम प्रवृत्त होगा, नियत करने की शक्ति प्रदान की जाती है।

खण्ड १४ (१).— इस खण्ड के अधीन राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा अनुसूचि में संशोधन करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड १८ (१).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की, शक्ति प्रदान की जाती है।

खण्ड १९(१).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में उद्भूत किसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए कोई आदेश जारी करने की, शक्ति प्रदान की है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद,)

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ५ जुलाई, २०२४।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.